



दिनांक: 18-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 01 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा एवं 01 जिंदा कारतूस बरामद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.07.2024 को थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **शाहआलम पुत्र इकराम नि0 खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 132/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शाहआलम पुत्र इकराम नि0 मौ0 मुस्तफाबाद कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त आशिफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 278/19 धारा 392/411/414 भादवि थाना कोतवाली देहात स0पुर
2. मु0अ0सं0 16/19 धारा 392/411 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 29/19 धारा 392/411 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 172/19 धारा 392/411 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 208/19 धारा 394/411 थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 132/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर
7. मु0अ0सं0 287/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात स0पुर
8. मु0अ0सं0 630/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0देहात स0पुर
9. मु0अ0सं0 244/20 धारा 392/411 थाना बेहट स0पुर
10. मु0अ0सं0 265/20 धारा 307 भादवि थाना बेहट स0पुर
11. मु0अ0सं0 266/20 धारा 25/3 आयुध अधिनियम थाना बेहट स0पुर
12. मु0अ0सं0 267/20 धारा 414 भादवि थाना बेहट स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- (1) थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
- (2) उ0नि0 विकास सिंघल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर एवं थाना गागलहेडी पुलिस टीम
- (3) है0का0 342 आशीष कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
- (4) है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
- (5) का0 398 नरदेव थान गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
- (6) का0 1345 सुशान्त कपिल थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 100 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत 2,00,000/- रुपये) बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीले पदार्थों की बिक्री की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शराफत पुत्र मौ० नाजिम निवासी मौ० इमामियान कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को 100 ग्राम स्मैक सहित कस्बा अ०पीर से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु०अ०सं० 229/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभियुक्त शराफत उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूँ, गलत कार्य करके ही धन कमाता हूँ मुझसे जो स्मैक मिली है वह मैंने अपने साथी से खरीद थी जिसको बेचने के लिए मैं कल छोटी छोटी पन्नीयों में भर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शराफत पुत्र मौ० नाजिम निवासी मौ० इमामियान कस्बा अम्बेहटा पीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 105/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

100 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री अश्वनी शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है०का० 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का० 2122 लोकेश तोमर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 18-07-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह,सहारनपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 105 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण ,अवैध मादक पदार्थों तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1.भास्कर पुत्र रमेश निवासी पंचदेवरा शाहबाद हरदोई उ0प्र0 2.सूरज पुत्र बेचेलाल निवासी ददिउरा पाली हरदोई उ0प्र0 3. आदित्य उर्फ सोनू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर 4. हरिओम उर्फ गोला पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर को तीतरो तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 105 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 292/24 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. अधि0 के पंजीकृत किया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम सभी कम पढे लिखे हैं व नशा करने के आदि हैं। हम स्मैक सस्ते दाम में खरीदर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। कल जब हम स्मैक बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. भास्कर पुत्र रमेश निवासी पंचदेवरा शाहबाद हरदोई उप्र00 ।
- .2 सूरज पुत्र बेचेलाल निवासी ददिउरा पाली हरदोई उप्र00 ।
- .3आदित्य उर्फ सोनू पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।
- .4 हरिओम उर्फ गोला पुत्र धर्मसिंह निवासी ग्राम धानवा थाना तीतरो जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

- अभियुक्त भास्कर उपरोक्त से 45 ग्राम अवैध स्मैक बरामद ।
- अभियुक्त सूरज उपरोक्त से 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद ।
- अभियुक्त आदित्य उर्फ सोनू उपरोक्त से 20 ग्राम स्मैक बरामद ।
- अभियुक्त हरिओम उर्फ गोला उपरोक्त से 15 ग्राम स्मैक बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना गंगोह सहारनपुर
- 2.हे0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह सहारनपुर
- 3.है0कां0 106 विक्रान्त मान थाना गंगोह सहारनपुर
4. कां0 1839 सन्नी थाना गंगोह सहारनपुर
- 5.कां0 1606 दीपक यादव थाना गंगोह सहारनपुर
- 6.कां0 1718 अंकित धामा थाना गंगोह सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 18.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.06.2024 को वादी श्रीमति सरिता पत्नि सोनू निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सुभाष पुत्र सुक्कड निवसी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर व 05 अन्य द्वारा वादिया व वादिया के पति सोनू के साथ लोहे की पट्टी व डण्डो से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध मे थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 131/2024 धारा 147/323/308 भादवि पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेकर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्तो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के नामजद अभियुक्त **मैनपाल पुत्र सुक्कड निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर को सुल्तानपुर बाईपास तिराहे करबा चिलकाना के पास से गिरफ्तार किया गया।** अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त मैनपाल पुत्र सुक्कड निवासी ग्राम मनोहरपुर थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ 0नि0राजकुमार सारण थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. उप निरी0 आकाश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. महिला उप निरी0 खुशबू थाना चिलकाना सहारनपुर ।
4. हे0का0 246 हेमन्त सिंह थाना चिलकाना सहारनपुर।



दिनांक: 18.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.07.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र शौकत तेली निवासी हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 1315/22 धारा 125(3) सीआरपीसी को दस्तरखान होटल कस्बा छुटमलपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार वारंटी का नाम व पता:-

गुलफाम उर्फ गुल्लू पुत्र शौकत तेली निवासी हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. का0 2549 जिम्मी सागर थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2176 श्यामपाल थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 18.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी,सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.6.2024 को वादी तौसीक पुत्र खुर्शीद निवासी मौहल्ला हमीदा कालोनी यमुना नगर थाना यमुना नगर जिला यमुना नगर, हरियाणा ने एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 18-06-2024 को वादी के भाई तौफीक के साथ लात घूसो व ईट से मारपीट करना जिससे दौराने इलाज वादी के भाई तौफीक की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध मे थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 248/24 धारा 147, 304 भादवि बनाम 1. सददाम पुत्र लोबान निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर 2.भानू उर्फ वाहिद पुत्र इरशाद उर्फ सादा उर्फ शहजाद निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर 3. अफजल पुत्र नाजिर 4. नसीम चाउमीन वाला पुत्र स्व० रफीक 5. अब्दुल रहमान पुत्र स्व० रफीक 6. साकिब पुत्र इमरान निवासीगण खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना मण्डी श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.06.24 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अब्दुल रहमान पुत्र स्व० रफीक निवासी खाताखेडी सराय थाना मंडी सहारनपुर 2.भानू उर्फ वाहिद पुत्र इरशाद उर्फ सादा उर्फ शहजाद निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर 3.साकिब पुत्र इमरान निवासी जैन कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर 4.अफजल पुत्र नाजिर निवासी सुहैला कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

आज दिनांक 18.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सददाम पुत्र लोबान निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर हाल किराएदार आलमगीर का किराये का मकान खाताखेडी गली नम्बर 27 थाना मण्डी सहारनपुर को नया चिलकाना अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सददाम ने बताया कि दिनांक 18.06.2024 की रात्रि मे मैं अपने घर के सामने बैठा था, तभी अचानक एक व्यक्ति मेरे घर में जाने लगा तो मुझे लगा की वह चोर है। तभी मैंने चोर- चोर शोर मचाते हुए उसकी पिटाई कर दी और एक ईट को रास्ते से उठाकर मैंने उसके सिर व शरीर मे मार दिया था। फिर मैं उस व्यक्ति को मेन रोड़ पर ले आया जहाँ अन्य वयक्तियों ने भी उसके साथ मार पिटाई की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1.सददाम पुत्र लोबान निवासी मौ0 ढोलीखाल थाना कुतुबशेर सहारनपुर हाल किराएदार आलमगीर का किराये का मकान खाताखेडी गली नम्बर 27 थाना मण्डी सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 366/2021 धारा 379/411 भादवि थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 248/24 धारा 147, 304 भा0द0वि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नैमचन्द सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 विजेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. का0 135 पीयूष चौधरी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 737 अरुण तोमर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



दिनांक - 18.07.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के मामले में वांछित अभियुक्त को किया
गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.06.2024 को वादिया ने एक लिखित तहरीर बाबत वादिया के साथ वादिया की बहन के देवर संदीप पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा जुनारदार थाना बेहट जनपद सहारनपुर द्वारा छेड़खानी करते हुए वादिया के कपड़े फाड़ देने, गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 127/2024 धारा 354बी, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 18.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त **संदीप पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा जुनारदार थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

संदीप पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम लण्डौरा जुनारदार थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. म0उप निरी0श्रीमती वर्षा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. का0 2166 साहुल, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 18.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगणों को सश्रम आजीवन कारावास व 2 लाख 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.2018 को वादी श्री अकरम पुत्र इकराम निवासी धोबी वाला थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नईम पुत्र गयासुददीन 2.अनीस पुत्र गयासुददीन निवासीगण मौ० हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के भाई बिलाल के साथ गाली-गलौच कर बिलाल के पेट में चाकू मार हत्या कर देना व साजिद व अकरम को चोट मारना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु०अ०सं० 300/2018 धारा 302,323,325,504,506,34 भादवि थाना कुतुबशेर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 644/2018 पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 18.07.2024 को अभियुक्तगण 1.नईम पुत्र गयासुददीन 2.अनीस पुत्र गयासुददीन को संबंधित मु०अ०सं० 300/2018 धारा 302,323,325,504,506,34 भादवि के दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक पर 1लाख 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री दीपक सैनी
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री दीपक चतुर्वेदी
पैरोकार है०का० 650 लक्षेन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर